भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन

अधिसूचना सं. 5 / 2023
नई दिल्ली, दिनांकः 8 मई, 2023

विषयः आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 08 के आईटीसी (एचएस) 08081000 के तहत सेबों की आयात नीतिगत शर्त में संशोधन।

सा.आ.(अ): समय–समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022 अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय–08 के आईटीसी (एचएस) 08081000 के तहत आयात नीतिगत शर्त में निम्नानुसार संशोधन करती हैः

एचएस कोड	मद विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीतिगत शर्त	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
08081000	सेब	मुक्त	निषिद्ध	शून्य	तथापि, आयात 'मुक्त' है यदि सीआईएफ मूल्य प्रति किलोग्राम 50 रु से ऊपर है। न्यूनतम आयात कीमत (एमआईपी) शर्तें भूटान से आयात पर लागू नहीं होंगी।

इस अधिसूचना का प्रभावः आईटीसी (एचएस) 08081000 के तहत सेबों का आयात 'निषिद्ध' है जहां कहीं सीआईएफ आयात कीमत प्रति किलोग्राम 50 रु से कम या बराबर है। न्यूनतम आयात कीमत (एमआईपी) शर्तें भूटान से आयात पर लागू नहीं होंगी।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी
8.5.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/89/180/79/एएम–99/पीसी–2[क]/ई–1863 से जारी)